छठी अनुसूची [धारा 57(ख) देखिए]

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की दूसरी अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :—

'दूसरी अनुसूची—निर्यात टैरिफ

5 टिप्पण:

- 1. इस अनुसूची में, "अध्याय", "शीर्ष", "उपशीर्ष" और "टैरिफ मद" से सीमाशुल्क अधिनियम की पहली अनुसूची के क्रमशः अध्याय, शीर्ष, उपशीर्ष और टैरिफ मद अभिप्रेत हैं।
- 2. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची, धारा और अध्याय टिप्पण के निर्वचन के नियम और पहली अनुसूची के निर्वचन के साधारण नियम इस अनुसूची के निर्वचन को लागू होंगे।
- 10 3. शुल्क की दर के संबंध में इस अनुसूची के किसी स्तंभ में "%" संक्षेपाक्षर यह उपदर्शित करता है कि उस माल पर शुल्क, जिससे कि प्रविष्टि संबंधित है, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 में यथा परिभाषित माल के मूल्य के आधार पर प्रभारित किया जाएगा और शुल्क उस मूल्य के उतने प्रतिशत के बराबर होगा, जो उस स्तंभ में उपदर्शित है।

	क्र0सं0	अध्याय/शीर्ष/उपशीर्ष/ टैरिफ मद	माल का वर्णन	शुल्क की दर
15	(1)	(2)	(3)	(4)
	1.	0901	काफी	2200 रु0 प्रति क्विंटल
	2.	0902	चाय	5 रु0 प्रति किलोग्राम
	3.	0904 11	काली मिर्च	5 रु0 प्रति किलोग्राम
	4.	0908 30	इलायची	50 रु0 प्रति किलोग्राम
20	5.	0910 30	हल्दी, चूर्ण	1500 रु0 प्रति टन
	6.	0910 30	हल्दी, चूर्ण से भिन्न	2000 रु0 प्रति टन
	7.	1006 30 20	बासमती चावल	12000 रु0 प्रति टन
	8.	1202 10	मूंगफली छिलका	1125 रु0 प्रति टन
	9.	1202 20	मूंगफली गिरी	1500 रु0 प्रति टन
25	10.	2305	डी आयल्ड मूंगफली की खली	125 रु0 प्रति टन
	11.	2305	डी आयल्ड मूंगफली चूर्ण (विलायक निष्कर्षित किस्म)	125 रु0 प्रति टन
	12.	2305	डी आयल्ड चावल चोकर खली	15%
	13.	2303	पशु चारा	125 रु0 प्रति टन
30	14.	2401	तम्बाकू अविनिर्मित	75 पैसे प्रति किलोग्राम या 20% जो भी कम हो
	15.	2508 50	सिलीमैनाइट	20%
	16.	2508 50	कायनाइट	40 रु0 प्रति टन
	17.	2511 10	बैराइटस	50 रु0 प्रति टन
35	18.	2516	ग्रेनाइट (जिसके अंतर्गत काला ग्रेनाइट भी है) पोरफियरी और बेसाल्ट, सभी प्रकार के	15%
	19.	2525, 6814	अभ्रक, जिसके अंतर्गत घर्षित अभ्रक भी है	40%
	20.	2526 20 20	स्टिएटाइट (टाल्क)	20%
	21.	2601 11	लौह अयस्क और सांद्र, असंपीडित	30%
	22.	2601 12	लौह अयस्क और सांद्र, संपीडित	30%
40	23.	2602	मैगनीज अयस्क	20 रु0 प्रति टन

(1)	(2)	(3)	(4)	
24.	2610	क्रोमियम अयस्क और सांद्र सभी प्रकार के	3000 रु0 प्रति टन	
25.	2820 10 00	मैगनीज डाइआक्साइड	20%	
26.	41, 43	खालें, चर्म और चमड़ा, चर्म संस्कारित और चर्म असंस्कारित, सभी प्रकार के किन्तु चमड़ा विनिर्माण सम्मिलित नहीं है	60%	5
27.	5101	कच्चा ऊन	25%	
28.	5101	कच्ची कपास	10000 रु0 प्रति टन	
29.	5202	कपास अपशिष्ट, सभी प्रकार के	40%	
30.	5308	कयर सूत	15%	
31.	कोई अध्याय	जूट विनिर्मिति (जिसके अंतर्गत बिमपलिपत्तम जूट और मेस्ता फाइबर का विनिर्माण भी है) जब वास्तविक रूप से कविरंग, आधान या अन्य माल को बांधने के लिए प्रयुक्त नहीं की जाती है	150 रु0 प्रति टन	10
32.	5310, 6305	हैसियन क्लाथ और थैले—		
		(i) कालीन पृष्ठभाग ;	700 रु0 प्रति टन	15
		(ii) अन्य हैसियन क्लाथ (जिसके अंतर्गत नेरो बैकिंग क्लाथ भी हैं) और थैले जब वास्तविक रूप से कवरिंग, आधान या अन्य माल को बांधने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है	1000 ₹0 ਸ਼ਰੀ ਟਜ	
33.	5310	जूट कैनवास, जूट वेबिंग, जूट तिरपाल क्लाथ और उसकी विनिर्मितियां जब वास्तविक रूप से कवरिंग, आधान या अन्य माल को बांधने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है	200 रु0 प्रति टन	20
34.	5310	बोरियां (कपड़ा, थेले, टि्वस्ट, सूत, रस्सी और रज्जु) जब वास्तविक रूप से कवरिंग, आधान या अन्य माल को बांधने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है	150 ₹0 प्रति टन	25
35.	7201	कच्चा लोहा और स्पेगिलाइजेन कच्चा लोहा, ब्लाकों या अन्य प्राथमिक रूपों में	20%	
36.	7203	लौह अयस्क के प्रत्यक्ष अपचयन द्वारा प्राप्त लौह उत्पाद और अन्य स्पंजी लौह उत्पाद प्रपिंडकों, गुटिकाओं या वैसे ही रूपों में ; लौह, जिनमें भार के आधार पर न्यूनतम शुद्धता 99.94 प्रतिशत है, प्रपिंडकों, गुटिकाओं या वैसे ही रूपों में	20%	30
37.	7204	लौह अपशिष्ट और स्क्रैप, लौह या इस्पात के पुनर्गलनशील स्क्रैप पिंड	20%	35
38.	7205	कच्चे लौह, स्पीगेलाइजेन, लौह या इस्पात की कणिकाएं और चूर्ण	20%	
39.	7206	लौह या अमिश्रातु इस्पात, पिंडों में या अन्य प्राथमिक रूपों में	20%	
40.	7207	लौह या अमिश्रातु इस्पात के अर्ध- परिसज्जित उत्पाद	20%	40
41.	7208	लौह या अमिश्रातु इस्पात के सपाट वेल्लित उत्पाद, जो तप्त-वेल्लित अनधिपटि्टत, अलेपित या अविलेपित हैं	20%	
42.	7209	लौह या अमिश्रातु इस्पात के सपाट वेल्लित उत्पाद, जो अतप्त-वेल्लित (अतप्त अपचयित) अनधिपटि्टत, पटि्टत या विलेपित हैं	20%	

	(1)	(2)	(3)	(4)
	43.	7210	लौह या अमिश्रातु इस्पात के सपाट वेल्लित उत्पाद, जो अधिपट्टित, लेपित या विलेपित हैं टिन से लेपित या विलेपित	20%
5	44.	7213	लौह या अमिश्रातु इस्पात की शलाकाएं और छड़ें, तप्त-वेल्लित, अनियमिततः आबलित कुंडलियों में	20%
10	45.	7214	लौह या अमिश्रातु इस्पात की अन्य शलाकाएं और छड़ें जिन्हें फोर्जित, तप्त वेल्लित, तप्त कर्षित या तप्त उत्सारित से भिन्न और कर्मित नहीं किया गया है किंतु इसके अंतर्गत वे भी हैं जिन्हें वेल्लन के पश्चात् व्यावर्तित किया गया है	20%
	46.	7215	लौह या अमिश्रातु इस्पात की अन्य शलाकाएं और छड़ें	20%
	47.	7216	लौह या अमिश्रातु इस्पात के ऐंगिल, आकार और सेक्शन	20%
	48.	7217	लौह या अमिश्रातु इस्पात के तार	20%
15	49.	7303, 7304, 7305, 7306	लौह या इस्पात के ट्यूब और पाइप	20%'